न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिहं, R.A.S.
प्रकरण : वाद
मुकदमा नम्बर 02/2025

01. किरण देवी पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी मकान नम्बर 241 राजेन्द्र प्रसाद नगर ए गोपालपुरा बाईपास जयपुर राज0
–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0। –अप्रार्थी

वाद:– अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री राधेश्याम लक्षकारा अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

: : आदेश : :

दिनांक :– 10/06/25

प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम देवला तहसील मौजमाबाद में स्थित खाता संख्या 218 के आराजी ख0न0 56 रकबा 0.0100 है0, आराजी ख0न0 57 रकबा 1.6500 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 1.6600 है0 जिसमें प्रार्थीया 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार है । प्रार्थीया ने उक्त आराजी के पूर्व खातेदार मोहरू पुत्र ग्यारसा जाति कुम्हार निवासी देवला से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.02.2009 को क्रय की है जिसमें प्रार्थीया की जाति जाट दर्ज है। प्रार्थीगया के द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि का नामांतकरण प्रार्थीया के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक के बाद जमाबन्दी राजस्व कारकुनानों द्वारा प्रार्थीया की जाति अहिर (यादव) दर्ज कर दी गयी जबकि विक्रय पत्र दिनांक 04.02. 2009 में केती प्रार्थीया की जाति जाट दर्ज है जो सही इसलिए उक्त त्रुटि दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थीया की जाति अहिर (यादव) दर्ज है जबकि प्रार्थीया की सही एवं वास्तविक जाति जाट है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए हाल ही में दिनांक 26.12.2024 को प्रार्थीया ने जमाबंदी की नलकल प्रापत की उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थीया ने पटवारी हलक से उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो पअवारी हल्का ने उक्त इन्द्राज दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया तब तहसीलदार महोदय को इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया, तो तहसीलदार महोदय ने माननीय न्यायालय में चाराजोही कर इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की सलाह दी । अतः श्रीमान प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया की जाति अहीर (यादव) के स्थान पर जाट दुरूस्त करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रा0पत्र0 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी सं 1 पेरोकार राज उपस्थित।

प्रार्थी के प्रा0पत्र0 के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1 की ओर से पेश रिपार्टनुसार राजस्व ग्राम देवला के के खाता संख्या 218 के आराजी ख0न0 56 व 57 न किरण देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति अहीर (यादव) के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें हिस्सा 1/8 है। नामान्तकरण संख्या 75 दिनांक 23.12.2009 के अनुसार नामान्तरकरण में जाति दर्ज नही है। संलग्न प्रतिलिपि विक्रय पत्र मे अधिलेखन कर जाट शब्द जोडा प्रतीत होता । अतः

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

उप पंजीयक अष्ठम जयपुर से प्रमाणित कॉपी से अवलोकन किया जाना उचित होगा। पत्रावली में उपलब्ध में विक्रय पत्र की छाया प्रति में अंकित जाट शब्द की प्रमाणिकता के सम्बन्ध रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र संख्या 2009401000350 की उपपंजीयक जयपुर अष्टम से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ प्रार्थीया का नाम वादग्रस्त आराजीयात में अंकित जाति अहिर (यादव) के बजाय जाट दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व ग्राम देवला की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 218 के आराजी ख0न0 56, 57 कुल किता 02 कुल रकबा 1.6600 है0 में प्रार्थीया का नाम किरणदेवी पत्नि सुरेन्द्र हिस्सा 1/8 जाति अहीर (यादव) दर्ज है। पत्रावली मे उपलब्ध अन्य दस्तावेत उपपंजीयक श्रीमाधोपुर में पंजीकृत हक त्याग विलेख संख्या 2014005491 दिनांक 27.11.2014 की छाया प्रति में भी प्रार्थीया की जाति जाट अंकित है साथ ही उपपंजीयक अष्टम जयपुर से प्राप्त वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि में भी प्रार्थीया की जाति जाट अंकित है। प्रार्थीया का प्रा0पत्र0 उपपंजीयक जयपुर अष्टम से प्रेषित वादग्रस्त आराजीयात के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेज के आधार पर साबित है। अतः प्रार्थीया का यह प्रा0पत्र0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र0 दुरूस्ती इन्द्राज राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देवला की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 218 के आराजी ख0न0 56, 57 कुल किता 02 कुल रकबा 1.6600 है0 में प्रार्थीया का वर्तमान राजस्व अभिलेखा में दर्ज इन्द्राज जाति अहीर (यादव) को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थीया की जाति जाट दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद के नाम तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(बलबीर सिह)
उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद (जयपुर)

उक्त आदेश आज दिनांक 10.06.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

(बलबीर सिह)
उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद (जयपुर)